

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं.39/2019-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 31मई, 2019

10ज्येष्ठ,1941(शक)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) कीधारा 14 द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकाप्रयोगकरतेहुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्डएतद्द्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्डकी अधिसूचना सं. 37/2019-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक16मई, 2019, मेंदिनांक1 जून, 2019 से निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अधिसूचना कीअनुसूची-1 मेंक्रम संख्या 15, और उससे सम्बंधित प्रविष्टियोंकेस्थानपर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

अनुसूची-1

क्रं.सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीयरू. के समतुल्य विदेशी मुद्राकीएकइकाईकीविनिमयदर	
(1)	(2)	(3)	
		(क)	(ख)
		(□ यातित माल केलिए)	(निर्यातित माल केलिए)
15.	साउथ अफ्रीकन रैंड	4.85	4.55

(□।सं. 468/01/2019 सीमा शुल्क-V)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 011-23095541